डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY,AYODHYA(U.P.)

पत्रांक : लो0अ0वि0 / सा0प्र0 / 2026 / 271 दिनांक 07-07-2026

कार्यालय–विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या–लो0अ0वि0 / सा0प्र0 / 2026 / 211 दिनांक 26 मई, 2026 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के नियुक्ति के लिए डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राध्यापकों से दिनांक 20.06.2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। तद्‌क्रम में मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में उक्त निर्धारित तिथि को **दिनांक 22.07.2026** तक विस्तरित किया जाता है।

इच्छुक प्राध्यापक अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर पूर्ण विवरण अंकित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव/महाविद्यालय के प्राचार्य से अग्रसारित कराकर कुलसचिव, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को **दिनांक 22.07.2026** तक पंजीकृत डाक से प्राप्त करा दें।

अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के पद हेतु न्यूनतम अर्हतायेः–

1.	विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय में सह–आचार्य/सहायक आचार्य (चयन वेतनमान), सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर कार्यरत होना चाहिए।
2.	सम्बद्ध कालेजों के प्राचार्य, जिन्हे राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठ भूमि तथा सह आचार्य (रीडर) का दर्जा प्राप्त हो, को भी अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
3.	वह राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमाधिकारी के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष तक रहा हो।
4.	उसे प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र/प्रशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास किया होना चाहिए।
5.	कार्यक्रम समन्वयक के चयन के समय उसे 50 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए।

अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति 03 वर्ष के लिए की जायेगी और शासन द्वारा निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय–विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाईट तथा सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के कालेज लॉग–इन आई0डी0 पर अपलोड किये जाने हेतु।
2. निजी सचिव कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
3. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव को वित्त अधिकारी/कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
4. पत्रावली।

कुलसचिव